

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

प्रसीन अधिकारी : वीरेन्द्रसिंह सादव, आर०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 495/16

दिनांक : 09.01.2019

1. गोविन्दराम पुत्र मांभीलाल जाति कुमावत नि० भारिजा तन बवेरवालों की ढाणी जोबनेर तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०

प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र भीवा
2. आनन्दीलाल पुत्र भीवा
3. मूलचन्द्र पुत्र बुद्धाराम
4. गोपाल पुत्र बुद्धाराम
5. हरिनारायण पुत्र बुद्धाराम
6. ईश्वरलाल पुत्र बुद्धाराम
7. समस्त जाति कुमावत नि० बवेरवालों की ढाणी तन जोबनेर जिला जयपुर राज०
8. जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुमावत नि० वार्ड सं० 1 जोबनेर जिला जयपुर राज०
9. धन्ना पुत्र किशनाराम जाति जाट नि० डेहरा तह० सांभरलेक जिला जयपुर
10. सुप्यारदेवी धर्मपत्नि रामकरण जाति जाट नि० खददों की ढाणी तन बवेरवालों की ढाणी जोबनेर जिला जयपुर राज०
11. तहसीलदार तह० फुलेरा जिला जयपुर
12. उप पंजीयक सांभरलेक जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती इन्द्राज तरमीम नक्शा
अन्तर्गत धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

संक्षेप में वाक्यात् इस प्रकार से हैं कि आराजी खं० नं० 181 रकवा 5 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बवेरवालों की ढाणी तह० सांभर जिला जयपुर में स्थित है। अप्रार्थी सं० 1 लगा० 6 व मृतक सुवा पुत्र कालू व मृतक हीरादेवी पत्नि बुद्धाराम उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार थे जिनकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा उक्त आराजी में अप्रार्थी सं० 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा मृतक सुवा पुत्र कालू का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं० 3 लगा० 6 तथा मृतक हीरादेवी का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा था इसी अनुसार काबिज काश्त थे व उक्त आराजी राजस्व नक्शे में एक चक दर्ज थी। उक्त आराजी के खातेदार रामेश्वर, आनन्दीलाल, सुवा, मूलचन्द्र, गोपाल, हरिनारायण, ईश्वर व हीरादेवी ने दिनांक 09.09.05 को अपने अपने हिस्से की आराजी में से 8 बिस्वा आराजी का विक्रय अप्रार्थी सं० 9 के पक्ष में कर विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया। अप्रार्थी सं० 9 को जो भूमि विक्रय की गई वह जोबनेर रेनवाल रोड़ से पूर्व की तरफ स्थित है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं उत्तरी तरफ भंवरलाल पुत्र लालाराम, दक्षिणी

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

लिपिकीय त्रुटि है। उक्त तरमीम की प्रार्थी को जानकारी नहीं दी गई है प्रार्थी ने दिनांक 14.10.16 को पटवारी हल्का से उक्त आराजी की जमाबन्दी व नक्शा प्राप्त करने की मांग की तो सर्वप्रथम जानकारी हुई की राजस्व नक्शे में बिना किसी आदेश के तरमीम कर गलत अंकन कर दिया है इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने पटवारी हल्का से जानकारी करना चाहा तो पटवारी हल्का ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा परिपत्र के आधार पर अंकन करना बताया। जबकि परिपत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेशों के बिना तरमीम किये जाने का कोई अंकन नहीं है। परिपत्र में वर्णित प्राकधानों के विपरित गलत तरमीम किये जाने से अप्रार्थी सं० 9 उक्त गलत तरमीम को आधारित कर प्रार्थी को कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से वेदखल कर कब्जा करने पर उत्तारू है इसी उद्देश्य से अप्रार्थी सं० 9 व उसके परिवार के सदस्य दिनांक 16.10.16 को प्रार्थी की आराजी पर आकर नक्शे के आधार पर कब्जा करने व झगडा फिराद कर प्रार्थी को वेदखल करने की धमकी दी तथा गलत तरमीम के आधार पर आराजी का बेवान कर प्रार्थी को उक्त आराजी से वेदखल करने पर उत्तारू है। यदि अप्रार्थी सं० 9 अपने कृत्य में सफल हो गयी तो प्रार्थी को काफी असुविधा होगी तथा अपनी आराजी से वंचित होने से प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी सं० 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने व गलत तरीम को दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी०आई० पेश कर अंकित किया कि उक्त आराजी का मूल खं०नं० 181 है जो जोबनेर रेनवाल रोड के पश्चिम में स्थित है उक्त आराजी अप्रार्थी सं० 9 ने दिनांक 09.09.05 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र क्रय की गयी है तब से अप्रार्थी सं० 9 का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है उसी अनुसार तरमीम की गयी है प्रार्थी जबरन अप्रार्थी सं० 9 के कब्जे काश्त व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज भूमि खं०नं० 181/2 रकबा 8 बिस्वा पर कब्जा करना चाहता है। तरमीम मौके के कब्जे काश्त के अनुसार सही हुई है इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है। संशोधन नहीं किया जा सकता है तरमीम के समय पटवारी मौके पर गया था प्रार्थी मौजूद था परन्तु हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि प्रार्थी अप्रार्थी सं० 9 की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है प्रार्थी को तरमीम की पूर्ण जानकारी थी इसलिए अब प्रार्थी को ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है जिसके आधार पर वह अप्रार्थी सं० 9 की जमीन को हड़प कर सके इसलिए प्रार्थी का प्रा०पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि खं०नं० 181/2 रकबा 8 बिस्वा की तरमीम में परिवर्तन नहीं करावे कब्जा काश्त में वाधा उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थी सं० 9 आराजी खं०नं० 181/2 रकबा 8 बिस्वा भूमि में पश्चिमी तरफ जोबनेर रेनवाल सड़क की ओर काबिज काश्त है ओर भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है लेकिन अब प्रार्थी की नियत में फितुर आया हुआ है ओर प्रार्थी अप्रार्थी सं० 9 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है इसलिए प्रार्थी को जरिये काउन्टर दावा के पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह अप्रार्थी सं० 9 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न नहीं करे, न ही तरमीम में किसी प्रकार का परिवर्तन करावे तथा मौके व कब्जे काश्त की स्थिति को यथावत रखा जावे। अप्रार्थी सं० 9 की तरमीमशुदा आराजी खं०नं० 181/2 है जिसका मूल खं०नं० 181 है तथा अप्रार्थी सं० 9 जोबनेर रेनवाल सड़क के पश्चिम में स्थित भूमि 8 बिस्वा पर काबिज काश्त है जिससे प्रार्थी जबरन अप्रार्थी सं० 9 को वेदखल करना चाहता है जबकि वर्तमान में अप्रार्थी सं० 9 का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर चला आ रहा है इसलिए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं० 9 के पक्ष में होने से दौराने प्रार्थना पत्र धारा 136, 131 भू० राजस्व अधिनियम की सुनवायी के प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

उक्त जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम का जवाब वकील प्रार्थी की ओर से पेश किया जिसमें अंकित किया कि अप्रार्थी सं० 9 का रेनवाल जोबनेर रोड के पश्चिम में

—
उप खण्ड अधिकारी
साँभर

आत बिस्वा आराजी नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं० ७ ने सहा काउन्टर क्लेम व प्रार्थना पत्र बिना कब्जा के प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया ही स्वार्थिज योग्य है। प्रार्थी गोविन्दसम सं० सं० ०२७/१८१, ०२८/१८१, १८१/१ कित्ता ३ कुल रकबा ५ बीघा १० बिस्वा आराजी का शिकोलेज स्वातेदार है जिसके विरुद्ध वैधानिक रूप से किसी प्रकार की विरोधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती इस कारण अप्रार्थी सं० ९ का काउन्टर क्लेम व टी०आई० स्वार्थिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी गोविन्दसम ने एक प्रा०पत्र राजस्व नक्शे में की गई गलत तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु धारा १३६, १३१ भू-राजस्व अधिनियम के विधिक प्राक्कानों के अनुसार प्रस्तुत किया है जो समशी नेवर है तथा मूल वाद की तस्फ विवाधक विरचित कर निर्णित नहीं किया जाना है बल्कि दस्तावेजी व मौके की स्थिति की जांच कर संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के तहत विस्तारित किया जाना है ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम के प्राक्कान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर लाभ न होने से काउन्टर क्लेम वैधानिक प्राक्कानों के विपरित प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी सं० १ लगा० ८ की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि अप्रार्थी सं० ९ की ८ बिस्वा आराजी जिसके सं० सं० १८१/२ है वह रेनवाल जोबनेर रोड के पूर्व दिशा में स्थित है जिसका कब्जा विक्रय पत्र पंजीयन के सम्य अप्रार्थी सं० ९ ने प्राप्त किया था मौके पर अप्रार्थी सं० ९ जोबनेर रेनवाल रोड के पूर्व में काबिज है इस सम्बन्ध में दिनांक ०९.०९.०५ को एक इकरारनामा अप्रार्थी सं० ९ ने मय नक्शा संलग्न करते हुये विक्रेतागण के पक्ष में निष्पादित किया है जिसमें सीमाएं व नाप भी लिखी हुई है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं० ९ की कब्जे काश्त की आराजी जोबनेर रेनवाल रोड के पूर्व दिशा में स्थित है तथा प्रार्थी की आराजी ५ बीघा १० बिस्वा रेनवाल जोबनेर रोड के पश्चिम में स्थित है। जिससे अप्रार्थी सं० ९ का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद हल्का पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ही राजस्व नक्शे में सं० सं० १८१/२ का गलत तरमीम इन्द्राज किया है जो कि मौके की स्थिति के विपरित है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मूल प्रति जमाबन्दी ग्राम बवेरवालो की ढाणी, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम बवेरवालों की ढाणी, नकल नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति प्रमाणित भूमि एकीकरण विभाग राज०, आंशिक नकल फोटो प्रति चक्रेतराशी लट्टा ट्रेस, प्रमाणित प्रति फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मु० सं० २७९/१४, २८०/१४ थाना जोबनेर, प्रमाणित नक्शा भूमि एकीकरण, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा, जमाबन्दी फोटो प्रति, फोटो प्रति इकरारनामा पत्र, फोटो प्रति दस्तावेज बेचान पत्र, फोटो प्रति कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारानामा पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब व काउन्टर क्लेम के समर्थन में बेचान पत्र दिनांक ०९.०९.०५, नक्शा दिनांक २४.११.१६ वर्तमान, आदेश तरमीम दिनांक १६.१२.१४ पेश की है।

बहरस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बहरस की कि आराजी सं० सं० १८१ रकबा ५ बीघा १८ बिस्वा वाकै ग्राम बवेरवालों की ढाणी में स्थित है उसमें से दिनांक ०९.०९.०५ को अप्रार्थी सं० ९ ने ८ बिस्वा जमीन क्रय की थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक ०९.०९.०५ को इकरारनामा लिखा था तथा ८ बिस्वा भूमि का कब्जा सड़क के पूर्वी तरफ विक्रेताओं ने अप्रार्थी सं० ९ को सुपुर्द किया था इसी अनुसार उक्त आराजी का विभाजन किया गया था विभाजन के पश्चात् प्रार्थी ने सम्पूर्ण ५ बीघा १० बिस्वा आराजी क्रय कर ली तथा उक्त ५ बीघा १० बिस्वा आराजी जोबनेर रेनवाल रोड के पश्चिम में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज है। विक्रेतागण का इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ है जिसमें विक्रेताओं ने स्वीकार किया है कि अप्रार्थी सं० ९ को भूमि का कब्जा रोड के पूर्व दिशा में दिया गया था तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं० ९ के पारिवारिक सदस्यों के बीच हुए झगड़े बावत् पुलिस ने नक्शा मौका बनाया है उसमें भी अप्रार्थी सं०

—
उप खण्ड अधिकारी
संभार कोर

9 का कब्जा रोड़ के पूर्व में काबिज होना बताया है इराके बावजूद हल्का पटवारी ने बिना किसी सुनवायी किये व सक्षम आदेश प्राप्त किये नवशे में खं0नं0 181/2 की गलत तरमीम कर दी जो लिपिकीय त्रुटि है। जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की है।

1. आर0आर0टी0 2009(2) पेज नं0 954
2. आर0आर0टी0 2012(2) पेज नं0 814
3. आर0आर0टी0 2015(1) पेज नं0 451
4. आर0आर0टी0 2013(1) पेज नं0 391

वकील अप्रार्थी ने जवाब व काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने जो जमीन खरीदी वह विक्रय पत्र दिनांक 09.09.05 प्रस्तुत किया है जिसमें खं0नं0 181 के पूर्व में जमीन खरीदना बताया है जब जमीन रोड़ के पूर्व में खं0नं0 181 की है ही नहीं तो कब्जा कैसे दिया जा सकता है तरमीम हल्का पटवारी ने सही की है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र गलत पेश किया है इकरारनामा दिनांक 09.09.05 फर्जी तरीके से लिखा गया है। तरमीम की कार्यवाही वैधानिक रूप से की गयी है। अतः प्रा0पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस व लिखित बहस तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रा0पत्र में प्रार्थी ने खं0नं0 181/2 की तरमीम राजस्व नक्शों में गलत अंकन किया जाना बताया गया है तथा अप्रार्थी सं0 9 ने जो 8 विस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी है उक्त विक्रय पत्र अप्रार्थी सं0 9 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त 8 विस्वा आराजी पूर्व दिशा की तरफ बेचान की जाना स्वीकार की है इस सम्बन्ध में अप्रार्थी सं0 9 ने विक्रेतागण के पक्ष में विक्रय पंजीयन की दिनांक 09.09.05 को ही एक अनुबन्ध पत्र लिखा है जिसमें संलग्न नक्शा भी प्रस्तुत किया है जिसमें भी उक्त 8 विस्वा आराजी जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में क्रय किया जाना स्वीकार किया है तथा जो नक्शा संलग्न इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें व इकरारनामों में वर्णित सीमाएं व नाप समान है जिससे भी विक्रय पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 9 ने जवाब के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया है तथा खं0नं0 181/2 की आराजी मुताबिक नक्शा तरमीम के अनुसार काबिज होना बताया है तथा विक्रय पत्र के अनुसार जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में काबिज होने से इंकार किया है इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.18 के द्वारा खं0नं0 181 की पूर्वी दिशा में जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में खं0नं0 181 का कोई भाग आता है या नहीं कि रिपोर्ट मय सुपर इन्पोज नक्शों सहित तलब करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को पत्र लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार फुलेरा द्वारा पत्र क्रमांक 3056 दिनांक 03.07.18 के द्वारा अपनी रिपोर्ट मय नक्शा सुपर इन्पोज प्रस्तुत किया जिसके मुताबिक खं0नं0 181 का भाग रकबा 2 विस्वा 10 विस्वानसी जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व दिशा में स्थित होना अंकित किया है तथा 8 विस्वा 10 विस्वानसी जोबनेर रेनवाल रोड़ में गया होना अंकित किया है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.18 के आदेश अनुसार उक्त रिपोर्ट व सुपर इन्पोज नक्शों में खं0नं0 181/2 का अंकन नहीं दर्शाया जाना अंकित कर रिपोर्ट स्पष्ट न होने से पुनः खं0नं0 181/2 की स्थिति को दर्शाते हुए स्पष्ट रिपोर्ट मय सुपर इन्पोज नक्शों के तलब की जिसकी पालना में तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5417 दिनांक 20.12.18 के द्वारा रिपोर्ट मय सुपर इन्पोज नक्शे के प्रस्तुत की जिसमें यह

—।
उप खण्ड अधिकारी
सी.म. लेक

स्पष्ट किया गया है कि खं०नं० 181/2 जोबनेर रेनवाल रोड़ पर स्थित है जिसमें से जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्वी दिशा में 431.13 रकबायर याई अर्थात् 2 विस्वा 10 विस्वान्सी है तथा रोड़ में 778.87 रकबायर याई अर्थात् 5 विस्वा 10 विस्वान्सी जोबनेर रेनवाल रोड़ में दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 20.12.18 को अप्रार्थी सं० 9 की ओर से आपति प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त आराजी की रिपोर्ट सरकारी स्तर पर तहसीलदार फुलेरा से नाप चौक कर मंगवायी जावे जिसकी पालना में तहसीलदार फुलेरा को पत्र क्रमांक 1412 दिनांक 24.12.18 के द्वारा खं०नं० 181 से 181/1 व 181/2 वाले ग्राम बबेरवालों की ढाणी तह० फुलेरा की आराजीयात का मौका देखकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार फुलेरा द्वारा क्रमांक 55 दिनांक 03.01.19 को अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कि जिसका उल्लेख किया जाना हम उचित समझते हैं जो निम्न प्रकार है "बबेरवालों की ढाणी के मूल आराजी खं०नं० 181 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा था जिसके वर्तमान में खं०नं० 181/2, 181/1, 927/181, 928/181 दर्ज रिकोर्ड है। खं०नं० 181/1 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, खं०नं० 927/181 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा, खं०नं० 928/181 रकबा 7 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 10 विस्वा की खातेदारी गोविन्दराम पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत नि० बबेरवालों की ढाणी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा खं०नं० 181/2 रकबा 8 विस्वा की खातेदारी सुप्यारदेवी पत्नि रामकरण जाति जाट के नाम दर्ज है उपरोक्त भूमि का मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया जिसमें खं०नं० 181 मूल के पश्चिम दिशा में खं०नं० 187 गै०मु० चाह व पूर्व दिशा में खं०नं० 330 गै०मु० चाह से मौके पर जरीब चलाकर मौका निरीक्षण किया गया मौके पर पाया कि खं०नं० 181/1, 927/181, 928/181 मौके पर खाली (पड़त) है। खं०नं० 181/1, 927/181, 928/181 के पूर्वी तरफ जोबनेर रेनवाल रोड़ स्थित है उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि 3 विस्वा भूमि जोबनेर रेनवाल रोड़ में गई है तथा खं०नं० 181/2 रकबा 8 विस्वा भूमि में से (5 विस्वा 10 विस्वान्सी) पांच विस्वा दस विस्वान्सी भूमि जोबनेर रेनवाल रोड़ में गई है शेष भूमि (2 विस्वा 10 विस्वान्सी) दो विस्वा दस विस्वान्सी भूमि जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में है।" इस प्रकार उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि खं०नं० 181/2 रकबा 8 विस्वा की आराजी जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में है जिसमें से 5 विस्वा 10 विस्वान्सी भूमि जोबनेर रेनवाल रोड़ में गयी तथा 2 विस्वा 10 विस्वान्सी भूमि जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में है इस प्रकार पूर्व में प्रस्तुत सुपर इन्पोज की रिपोर्ट व इस रिपोर्ट तथा अप्रार्थी सं० 9 द्वारा लिखित इकरारनामा का एकसाथ अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि खं०नं० 181/2 की आराजी जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में स्थित है जो कभी जोबनेर रेनवाल रोड़ के पश्चिम में नहीं रही तथा तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट से यह भी प्रमाणित है कि खं०नं० 181/2 की 8 विस्वा आराजी में से 5 विस्वा 10 विस्वान्सी भूमि जोबनेर रेनवाल रोड़ में गयी है। उक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित है कि खं०नं० 181/2 की जो तरमीम हल्का पटवारी द्वारा राजस्व नक्शों में की गयी है वह बिना किसी आधार के तथा बिना सक्षम अधिकारी व न्यायालय के आदेश बिना ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना की गयी है तथा इस सम्बन्ध में खं०नं० 181 के पूर्व खातेदार अप्रार्थी सं० 1 लगा० 8 ने भी अपने जवाब में इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि अप्रार्थी सं० 9 को जो भूमि 8 विस्वा विक्रय की गयी थी वह जोबनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में ही विक्रय की गयी थी जो उक्त तथ्य तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट व सुपर इन्पोज नक्शों से स्पष्ट प्रमाणित है। बहस के दौरान अप्रार्थी सं० 9 के अधिवक्ता ने दिनांक 21.12.18 को प्रा०पत्र प्रस्तुत कर नक्शा ट्रेस हल्का पटवारी से तलब

—
उप खण्ड अधिकारी
राजस ६६

करने का निवेदन किया जिस पर भी चर्चा सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया कि खं०नं० 181 से सम्बन्धित राजस्व नक्शों पत्रावली पर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में उक्त प्रा०पत्र के माध्यम से तलब करवाये गये नक्शों की कोई आवश्यकता न होने से प्रा०पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा की गयी तरमीम राजस्व नक्शों में मौके की स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड के विपरित होने से उक्त तरमीम निरस्त किया जाना व प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है जहा तक अप्रार्थी सं० 9 के काउन्टर क्लेम का प्रश्न है अप्रार्थी सं० 9 की आराजी 8 विस्वा में से 5 विस्वा 10 विस्वान्सी जोवनेर रेनवाल रोड़ में गयी है तथा 2 विस्वा 10 विस्वान्सी जोवनेर रेनवाल रोड़ के पूर्व में होना तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट में अंकित है ऐसी स्थिति में उक्त काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार कर हल्का पटवारी हल्का ग्राम बवेरवालों की ढाणी के राजस्व नक्शों में की गयी खं०नं० 181/2 की तरमीम मौके की स्थिति व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार फुलेरा की मौका रिपोर्ट के विपरित होने से निरस्त की जाती है तथा खं०नं० 181/2 की तरमीम तहसीलदार फुलेरा मु० सांभरलेक की रिपोर्ट दिनांक 03.01.2019 के अनुसार राजस्व नक्शों में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी सं० 9 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को खुले न्यायालय में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।



—h
उपरवाट्ट अधिकारी
सांभरलेक